फोनः 0291 -2795302
0291 -2795304

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ 3703-3717 दिनाँकः 10-7-23

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
3. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. प्रो. पंकज शर्मा, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. प्रो. आजम अंसारी, प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
7. प्रो. रविन्द्रसिंह, प्राचार्य, भंवरलाल दूग्गड़ आयुर्वेद विश्वभारती, सरदारशहर।
8. डॉ. चन्दन सिंह, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ), द्रव्यगुण विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
9. डॉ. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ), रोग विकृति विज्ञान विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
10. डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसो.प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
11. प्रो. मोहम्मद जावेद, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
12. प्रो. प्रदीप शर्मा, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर
13. डॉ. टी.पी. यादव, कुलसचिव, राजस्थान होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड, जयपुर
14. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
15. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषयः- डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 53 उपवेशन दिनांक 27 जून 2023 के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **53**वां उपवेशन जो दिनाँक **27.06.2023** को प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दोपहर **3.30** बजे विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को समिति द्वारा अनुमोदिन कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 01 से 10 तक।

कुलसचिव

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
विद्या परिषद् का 53वां उपवेशन

27 जून 2023

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ दिनाँकः

कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **53**वां उपवेशन दिनाँक **27.06.2023** को माननीय कुलपति महोदय प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में दोपहर **3.30** बजे विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. डॉ. चन्दन सिंह, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थी), द्रव्यगुण विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
3. डॉ. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थी), रोग विकृति विज्ञान विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
4. डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसो.प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉफ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन उपस्थित हुएः-

1. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
2. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
3. प्रो. पंकज शर्मा, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
4. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
5. प्रो. आजम अंसारी, प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
6. प्रो. रविन्द्रसिंह, प्राचार्य, भंवरलाल दूग्गड़ आयुर्वेद विश्वभारती, सरदारशहर।
7. प्रो. मोहम्मद जावेद, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
8. प्रो. प्रदीप शर्मा, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर
9. डॉ. टी.पी. यादव, कुलसचिव, राजस्थान होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड, जयपुर
10. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

सर्वप्रथम विद्या परिषद् दिनाँक 27 जून 2023 को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
1.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनाँक 23 जनवरी 2023 के अनुपालना का अनुमोदन।	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 23 जनवरी 2023 के **एजेण्डा बिन्दु संख्या-15** में वित्त एवं लेखा समिति में विद्या परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से एक व्यक्ति के मनोनयन/नामित करने पर प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष, शरीर रचना विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर को मनोनीत किया गया था, परन्तु विद्या परिषद् की सदस्यता दिनांक 15.03.2023 को समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर अन्य सदस्य को मनोनीत करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। **अनुपालना एजेण्डा बिन्दु संख्या-18(9)** के अन्तर्गत न्यूनतम 20 विद्यार्थियों के स्थान पर पूर्व की भांति 50 विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम पर स्वर्णपदक प्रदान किये पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। शेष एजेण्डा बिन्दुओं को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2023-24 के आयुर्वेद महाविद्यालयों के निरीक्षकों की नियुक्ति एवं बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों की सम्बद्धता आदेशों हेतु माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार किए गए कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3.	विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर यूनानी/होम्योपैथी/योग महाविद्यालय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2023-24 के निरीक्षकों की नियुक्ति पर विचार-विमर्श।	माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। प्रमुख सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 30(1)आरबी/2022/4313 दिनांक 17 अगस्त, 2022 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा अन्य समानान्तर विश्वविद्यालयों की भाँति तीन वर्षों से संचालित बी.एन.वाई.एस. एवं बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों का निरीक्षण नहीं कराते हुए सम्बद्धता में अभिवृद्धि किये जाने के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सम्बद्धता प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
4.	विश्वविद्यालय द्वारा क्षारकर्म टेक्नीशियन कोर्स (एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स) को Skill India/ National Skill Development, India द्वारा Accrediation (मान्यता प्राप्त) करने के पश्चात् उक्त कोर्स संचालित किए जाने पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। स्किल इंडिया में कवर्ड समस्त प्रकार के आयुष कोर्सेज को सम्मिलित **(adopt)** करने का भी अनुमोदन किया गया।
5.	एम.एससी. नर्सिंग(आयुर्वेद) पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रारूप पर विचार-विमर्श।	1. एम.एससी. नर्सिंग(आयुर्वेद) पाठ्यक्रम संचालन हेतु सीटो की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कम से कम 50 सीटें All over राजस्थान में रखते हुए अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। 2. एम.एससी.नर्सिंग(आयुर्वेद) पाठ्यक्रम हेतु 45000/- वार्षिक शैक्षणिक शुल्क करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	मार्डन नर्सिंग व बी.एस. नर्सिंग (आयुर्वेद) के तुलनात्मक विवरण पर विचार-विमर्श।	1. द्वितीय वर्ष में होस्पीटल एवं पंचकर्म विभाग में ड्यूटी लगाना एवं रोग विकृति एवं औपसर्गिक रोग विषय को एक करके रोग विकृति में अध्ययन करवाया जाना तथा 10 प्रतिशत इंटरनल अस्सेस्मेंट लागू किया जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। 2. सैधान्तिक एवं प्रायोगिक (Viva Voice) परीक्षाओ की CCTV रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी तथा 90 प्रतिशत से अधिक अंक एवं अत्यधिक न्यून अंक (प्रायोगिक) देने पर परीक्षक से न्यायोचित कारण लेने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
7.	पंचकर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु बनाए गए निरीक्षण प्राफार्मा एवं कॉलेज द्वारा आवेदन करने के लिए प्रारूप एवं न्यूनतम मापदण्ड पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8.	होम्योपैथी डी.फार्मा पाठ्यक्रम एवं बी.एससी. नर्सिंग (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम हेतु गठित समिति द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	पुन कमेटी से संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करवाने के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
9.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	1. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम को स्वीकृत करते हुए कर्मोन्नत करने हेतु डीन बी.एन.वाई. एस. को निर्देशित किया गया। 2. Bsc (नर्सिंग) आयुर्वेद के निरीक्षण प्रपत्र प्रारूप को संक्षिप्त करने के निर्णय के साथ सभी विषय के अध्यापको को विषयवार प्रभारी शिक्षक बनाए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
10.	विश्वविद्यालय की रिसर्च अनुभाग के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श।	
	1- O.88.1 Criteria for break and re-joining the course – If the scholar gets selected for a permanent appointment in any government body during the tenure of course he/ she may be allowed to join the services after completion of minimum one year tenure on recommendation of director/Principal. He/she may continue the study after date of relieving. If the scholar fails to resume his/her study within three years of relieving scholar's registration will automatically be cancelled and have to refund the amount of fellowship received and the amount of bond. Before re-joining the Ph.D. course, he/she must get the NOC from the institution. उपर्युक्त के सम्बन्ध में कथिपय प्रकरणों में ऐसे अध्येता/अध्येत्री सम्बन्धित राज्यों के आयुष विभागों में शेष पीएच.डी. अध्ययन पुनः Re-join करने हेतु अवकाश स्वीकृति के आवेदनो की शासकीय प्रक्रियाओं में होने वाले विलम्ब के कारण उपर्युक्तानुसार तीन वर्ष की अवधि में शेष पीएच.डी. अध्ययन पुनः Re-join नही कर पाये थे। ऐसे अध्येताअें ने विश्वविद्यालय को शासकीय विलम्ब की उपर्युक्त परस्थितियों से अवकाश के आवेदन पत्रों की प्रतिलिपि के साथ अवगत करवाया था। किन्तु उक्त ऑडिर्न्स की अनुपालना में ऐसे अध्येताओं के पीएच.डी.	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। **Phd** पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अन्य आयुर्वेद संस्थान में स्थानान्तरित होने की स्थिति में विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार अनापति प्रमाण पत्र की शर्त पर अनुमत किये जाने का निर्णय लिया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	पंजियन को निरस्त करना पडा। अतः शासकीय प्रक्रियाओं के कारण हुए विलम्ब की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे पीएच.डी. अध्येता/अध्येत्री का पीएच.डी. रजिस्ट्रेशन निरस्त नही किया जायें।	
	2- 6 माह शोध प्रगति प्रतिवेदन अगले एक माह की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित/प्रस्तुत करने हेतु शोध पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि अनावश्यक विलम्ब की स्थिति का टाला जा सके।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	3- प्रत्येक पार्ट टाईम अध्येता को पीएच.डी. अध्ययन अवधि (3½ वर्ष) में प्रत्येक वर्ष में एक माह की अवधि के लिए अपने पर्यवेक्षक मुख्यालय पर शोध कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि पर्यवेक्षक के सीधे मार्गदर्शन में अध्येता अपने शोध कार्य को समुचित प्रकार से सम्पादित कर सकें।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	4- प्रत्येक पार्ट टाईम अध्येता को 3½ वर्ष की नियत अवधि में प्रत्येक वर्ष के अन्त में, किये गये शोध कार्य का PPT Presentation विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, ताकि अध्येता को शोध कार्य के दौरान समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकें।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	5- पीएच.डी. अध्येताओं को 3 या 3½ वर्ष की नियत अवधि पूर्ण हो जाने के बाद यदि शोध कार्य अपूर्ण रहता है तो उन्हें अपने पीएच.डी. पाठ्यक्रम में पुनः Re-join करने हेतु शुल्क राशि 10000 रूपये के साथ विश्वविद्यालय को आवेदन करना होगा, ऐसा प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ताकि अध्येता नियम अवधि में सक्रिय रहते हुए अपना पीएच.डी शोध कार्य सम्पूर्ण कर सकें।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
11.	**विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श।**	
	1. दिनांक 09 मार्च 2023 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड बिन्दु संख्या-02 प्रयास परीक्षा शुल्क का निर्धारण हुआ जिसमें छात्रों द्वारा कुछ आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें मुख्यतया किसी भी संकाय में किसी भी कक्षा में यदि छात्र/छात्रा से दो प्रयास तक निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा तीसरे एवं चौथे प्रयास तक 1½ गुणा शुल्क एवं 05 प्रयास से 2½ गुणा परीक्षा शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त हुए है। दिनांक 23 मई 2012 को प्रबन्ध बोर्ड आयोजित बैठक के अनुसार प्रति विषय प्रयास परीक्षा शुल्क 500/- अनुमोदित है जबकि वर्तमान में प्रति विषय के अनुसार प्रति विषय परीक्षा शुल्क का प्रावधान नहीं है छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव विचारार्थ प्रेषित है।	दिनांक 23 मई 2012 को प्रबन्ध बोर्ड आयोजित बैठक के अनुसार प्रति विषय प्रयास परीक्षा शुल्क 500/- किया गया था उसके स्थान पर 700/- किए जाने का **सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।** साथ ही दो प्रयास एवं चार प्रयास के पश्चात परीक्षा शुल्क क्रमशः डेढ़ गुना एवं ढाई गुना को विलोपित किये जाने का सर्वसम्मति से **निर्णय** लिया गया।
	2. स्नातक/स्नातकोत्तर में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली (NCISM)/ राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, नई दिल्ली (NCH) के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न कराने हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के अतिरिक्त रिटायर्ड/ राजस्थान राज्य स्थित अन्य विश्वविद्यालय एवं प्रदेश के बाहर के संस्थाओं के परीक्षकों को नियुक्त किया जाता है। जिसके कारण प्रायोगिक परीक्षाओं में विलम्ब होता है तथा विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त आर्थिक भार पडता है अतः अन्य प्रदेशों की भांति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा यदि प्रायोगिक परीक्षा सम्पन कराने की स्वीकृति हो तो परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किया जा सके।	1. स्नातक स्तरीय प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न कराने हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के अतिरिक्त रिटायर्ड/ राजस्थान राज्य स्थित अन्य विश्वविद्यालय एवं प्रदेश के संस्थाओं के परीक्षकों को नियुक्त किये जाने का सर्वसम्मति से **निर्णय** किया गया। परन्तु परीक्षक समान जिले के नहीं होंगे। 2. स्नातकोत्तर प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए नजदीक के राज्य से एक परीक्षक को एवं एक परीक्षक सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में से ही नियुक्त कर प्रायोगिक परीक्षाएं संचालित करवाई जाएगी। इसके लिए विडियो रिकोर्डिंग (Viva) को अनिवार्य किया गया का **निर्णय** लिया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	3. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में विशेष परिस्थितियों में सहायक की उपलब्धता एवं विशेष योग्यजनों को अतिरिक्त समय प्रदान करने के सम्बंध में विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में विशेष परिस्थितियों में सहायक की उपलब्धता एवं विशेष योग्यजनों को अतिरिक्त समय 30 मिनट प्रदान करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही प्रत्येक केस में **पृथक्** से विश्वविद्यालय से अनुमति ली जाएगी व विशेष परिस्थितियों में सहायक की योग्यता 12 वीं/ स्नातक (मेडिकल संकाय को छोड़कर) तक ही सीमित रहेगी, का सर्वसम्मति से **निर्णय** लिया गया।
12.	विश्वविद्यालय परिनियम 12 अप्रेल 2010 के संबद्ध महाविद्यालय प्रबंध प.26 के सम्बन्ध में संशोधन पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय परिनियम 12 अप्रेल 2010 के संबद्ध महाविद्यालय प्रबंध प.26 के तहत विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक अधिकारी का अनुमोदन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
13.	विश्वविद्यालय द्वारा तैयार नवीन छात्र स्थानान्तरण नीति पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही इन्टर्नशिप स्थानान्तरण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक शुल्क 1000/- लिए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
14.	आयुर्वेद पाठ्यक्रम के चार विषयों 1. एम.एससी. आयुर्वेद फिजियोलोजी (शरीर क्रिया), 2. एम. एससी. ऐनाटोमी (शरीर रचना), 3. एम.एससी. आयुर्वेद एमपीएच (स्वस्थवृत्त एवं योग) एवं 4. एम.एससी. आयुर्बायोलोजी संचालित करने हेतु न्यूनतम एमएसआर (न्यूनतम मापदण्डानुसार) पाठ्यक्रम के तैयार प्रारूप पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया साथ ही इन पाठ्यक्रमो में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थीयो की फीस 2 लाख वार्षिक , शिक्षको की योग्यता आयुर्वेद स्नात्कोत्तर के नियमो के अनुसार रहेगी , छात्र संख्या प्रति पाठ्यक्रम-20 (प्रति महाविद्यालय) रहेगी प्रवेश प्रक्रिया में 15 प्रतिशत आल इंडिया कोटा एवं 85 प्रतिशत राज्य का कोटा निर्धारित होगा यदि सीटें रिक्त रहती है तो महाविद्यालय को राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जिन महाविद्यालयों में BAMS पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जा रहा है तथा जहा से दो BAMS batch पास होकर निकल चुके है ऐसे महाविद्यालयो को इन पाठ्यक्रमों के संचालन की स्वीकृति दी जाएगी नियमानुसार पाठ्यक्रम को संचालित करने के इच्छुक महाविद्यालय से सम्बद्धता शुल्क प्रति वर्ष स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रम के अनुसार लिया जाएगा तथा इन पाठ्यक्रमों प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पादित की जाएगी, का सर्वसम्मति से **निर्णय** लिया गया।
15.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आयुष डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
16.	**अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**	
	1. शल्यतंत्र विभाग में संचालित **"सेमी ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन क्षारसूत्र थेरेपी"** पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	2. विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद/ यूनानी / होम्योपैथी / योग एवं प्राकृतिक विज्ञान के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर असाधारण प्रतिभाओं को मानद (Honorary) डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने हेतु विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही अकादमिक एवं स्वास्थ्य सम्वर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालो को मानद (Honorary) डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने का सर्वसम्मति से **निर्णय** लिया गया।
	3. विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त आयुष महाविद्यालयों में 06 माह/ 01 वर्षीय / 02 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु तैयार पाठ्यक्रम पर विचार-विमर्श। 1. पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम। 2. आयुष डायटीशियन पाठ्यक्रम। 3. हॉस्पीटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम। 4. ओल्ड ऐज केयर नर्सिंग असिस्टेन्ट पाठ्यक्रम। 5. आयुर्वेद हर्बल ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम। 6. एक वर्षीय योग प्रशिक्षक पाठ्यक्रम।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया जिसमे परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा पेपर पेटर्न अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा :- 50 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन 25 प्रतिशत प्रायोगिक तथा 25 प्रतिशत सैद्धांतिक अनुसार तैयार कर समस्त प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रमो हेतु लागू करने का **निर्णय** लिया गया तथा इन पाठ्यक्रमो की परीक्षा सम्बन्धी **निर्णय** लेने के लिए माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।
	4. श्री विजय शान्ति सूरी एजुकेशन ट्रस्ट (एस. एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, उदयपुर) द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	5. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समस्त संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों से तैयार प्रारूप में प्राप्त करने पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

उक्त कार्यवाही विवरण अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया (पृष्ठ संख्या 01 से 10 तक)।

कुलसचिव
(सदस्य सचिव)